झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

अधिसूचना सं॰– 5 / विविध 14–44 / 2014:– रॉची, दिनांकः–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (I) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों / अपीलों के संदर्भ में स्मयक् कार्रवाई हेतु श्री अशोक कुमार दास, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची (मोबाईल नं० – 8210017542) को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अभिहीत किया जाता है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. उक्त पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(अवधेश कुमार जायसवाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / अभियंता प्रमुख 2, जल संसाधन विभाग, रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / अपर निदेशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, रॉची / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी / सभी पुनर्वास पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(अवधेश कुमार जायसवाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री अशोक कुमार दास, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(अवधेश कुमार जायसवाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 983 रॉची, दिनांकः– 05/02/2020

प्रतिलिपिः– वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

05/02/2020

(अवधेश कुमार जायसवाल)

सरकार के अवर सचिव।